दूरभाष : 0121–2665734
फैक्स : 0121–2666062

CIN : U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
Office of the
प्रबन्ध निदेशक
MANAGING DIRECTOR
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, MEERUT—250001

पत्रांक : **/प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/पी0एफ0 दिनांक**

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर के पत्र संख्या : 10782/मु0अ0(वि0)स0क्षे0/अधि0 दिनांक 25.11.2014 व उसके साथ संलग्न अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, शामली के पत्र संख्या 6984/वि0वि0मं0/शा0 दिनांक 22.11.2014 के अनुसार श्री राजेश कुमार (2014276), को उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड–द्वितीय, थानाभवन अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड–तृतीय, शामली, विभागीय कार्यों राजस्व वसूली में घोर उदासीनता बरतने, विद्युत आपूर्ति/अनुरक्षण कार्यों में शिथिलता बरतने, ब्रेक डाउन समय से अटैण्ड न कर विभाग की क्षवि धूमिल करने व अवैध धन उगाही, आर–एपीडीआरपी टाउन में 11 के0वी0 फीडर के सैनेटाईजेशन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में रूचि न लेने, उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने व घोर अनुशासनहीनता करने, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, शामली द्वारा अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–तृतीय, शामली व उपखण्ड अधिकारी–द्वितीय, थानाभवन के साथ कैम्पों के निरीक्षण के उपरान्त विभागीय मोबाईल नम्बर पर मोबाईल नं0–9536066633 से एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दिलाने जैसे कदाचरण का दोषी पाया गया है।

मैं पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ कि उपरोक्त सन्दर्भ में श्री राजेश कुमार (2014276), उपखण्ड अधिकारी, विद्युत वितरण उपखण्ड–द्वितीय, थानाभवन (विद्युत वितरण खण्ड–तृतीय, शामली) के विरूद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है। अतः मैं विजय विश्वास पन्त, प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ सक्षम प्राधिकारी होने के नाते एतद्द्वारा श्री राजेश कुमार (2014276), उपखण्ड अधिकारी को अग्रेतर जांच एवं अनुशासनिक कार्यवाही हेतु तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

निलम्बन की अवधि में राजेश कुमार (2014276), सहायक अभियन्ता, कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर से सम्बद्ध रहेंगे तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता अनुमन्य होगा।

/
विजय विश्वास पन्त
प्रबन्ध निदेशक

श्री राजेश कुमार (2014276),
उपखण्ड अधिकारी,
विद्युत वितरण उपखण्ड–द्वितीय,
33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र,
थानाभवन (जनपद–शामली)

पत्रांक :10944 /प.वि.वि.नि.लि./मेरठ/एसओ/तद्दिनांक 2 6 NOV 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

पंजीकृत 1. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
2. मुख्य अभियन्ता (मा0संसा0 एवं प्रशा0), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
पंजीकृत 3. मुख्य अभियन्ता (वितरण), सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर को उनके पत्रांक 10782/मु0अ0(वि0)स0क्षे0/अधि0 दिनांक 25.11.2014 के सन्दर्भ में।
पंजीकृत 4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, शामली को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि एक प्रति श्री राजेश कुमार (2014276), उपखण्ड अधिकारी को हस्तगत कराकर दूसरी प्रति पर पुष्टि स्वरूप हस्ताक्षर प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. अधीक्षण अभियन्ता, (डी0पी0), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को इस आशय के साथ कि उक्त सहायक अभियन्ता के विरूद्ध आरोप पत्र के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
पंजीकृत 6. संयुक्त सचिव (अनु0का0), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड–तृतीय, शामली।
पंजीकृत 8. उप सचिव (अ0प्र0–01/02/03/04/गोपन), उ0प्र0पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. लेखा अधिकारी (वेतन एंव लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ।
10. कट फाईल।

25/11/2014
(एस0के0 गुप्ता)
अधीक्षण अभियन्ता एवं स्टाफ आफिसर